(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 04 / 2022
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022 / 141

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री चन्द्र प्रकाश गोचर उम्र 30 वर्ष पुत्र घनश्याम गोचर जाति गुर्जर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स श्री देवसेना दूध डेयरी, मॉगरोल रोड, पवन मेटल के पास बारॉ जिला बारॉ (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) व धारा 31 (2)दण्डनीय धारा 51 एवं धारा 58

उपस्थिति :– 1– श्री महेश कुमार शर्मा खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 10.06.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2021 को मैसर्स श्री देवसेना दूध डेयरी, मॉगरोल रोड, पवन मेटल के पास बारॉ जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री चन्द्र प्रकाश गोचर पुत्र घनश्याम गोचर जाति गुर्जर (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 869 दिनांक 06.11.2020 एवं आदेशक क्रमांक 304 दिनांक 27.09.2021 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया वहॉ पर खाद्य पदार्थ भैंस का दूध, घी, दही, पनीर इत्यादि आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ भैंस का दूध में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ स्टील की टंकी मे लगभग 10 से 12 लीटर **भैस का दूध** रखा हुआ था जिसमे मिलावट का शक होने पर 2 लीटर भैस का दूध एक साफ सुखे खाली स्टील के भगोने मे नपवाकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री चन्द्र प्रकाश गोचर पुत्र घनश्याम गोचर जाति गुर्जर (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 80/– रूपये (अक्षरे अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **भैस के दूध** को पुनः हिला मिलाकर एक रूप कर चार साफ सुखे खाली प्लास्टिक की शीशियों मे बराबर मात्रा मे डालकर प्रत्येक नमूना भाग मे अलग–अलग 40–40 बून्दे फोमलीन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया। जिस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक ए.एच.–1195 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1195 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री चन्द्र प्रकाश गोचर पुत्र घनश्याम गोचर जाति गुर्जर (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र कमांक/एफएसएसए/2021/267 दिनांक 10.11.2021 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 322/PHL/Act/2021/399 दिनांक 25.10.2021 के अ[illegible]क्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **भैंस का दूध** ([illegible]) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (**Substanda**rd) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स श्री देवसे... दूध डेयरी, मॉगरोल रोड, पवन मेटल के पास बारॉ जिला बारॉ से फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति प्राप्त की जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन नमूना लेने की दिनांक के बाद प्राप्त किया है। खाद्य रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 06.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **भैंस का दूध (खुला)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) व धारा 31 (2) दण्डनीय धारा 51 एवं धारा 58 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी स्वयं द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि सेम्पल में लिए गए भैंस के दूध में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। मेरी दूकान पर 40/— रूपये प्रति लीटर, 50/—रूपये प्रति लीटर एवं 60/— रूपये प्रति लीटर का दूध विक्रय किया जाता है। जॉच हेतु दूध 40/— रूपये प्रति लीटर वाला क्रय किया गया था। जिसमे फेट कम आया है। भविष्य मे अच्छी क्वालिटी का दूध विक्रय करूगा। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **भैंस का दूध (खुला)** खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 322/PHL/Act/2021/399 दिनांक 25.10.2021 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) व धारा 31 (2) दण्डनीय धारा 51 एवं धारा 58 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। प्रकरण मे अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 7,000/— रूपये (अक्षरे सात हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **10.06.2022** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)